

**वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग- 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या :- FP/CG/TRANS./22299/2016

7.		परियोजना/स्कीम का स्थान	कार्यपालन अभियन्ता अति उच्च दाब (संधारण) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित रायपुर द्वारा प्रस्तावित लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस.विश्रामपुर-प्रतापपुर-बलरामपुर लाईन के लो. नम्बर 42/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र राजपुर विद्युत पारेषण लाईन का निर्माण किया जाना है। उक्त लाईन राष्ट्रीय राजमार्ग 343 एवं राजमार्ग-12 से गुजरना प्रस्तावित है। इस निर्माण कार्य में सूरजपुर वनमंडल में सूरजपुर वनमंडल में 11.243 हे. एवं बलरामपुर वनमंडल 6.961 हे. कुल वन भूमि 18.204 हे. वनभूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रभावित होती है जो न्यूनतम है।
	i.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
	ii.	जिला	सूरजपुर एवं बलरामपुर
	iii.	वन प्रभाग	सूरजपुर वनमंडल सूरजपुर, परिक्षेत्र प्रतापपुर एवं बलरामपुर वनमंडल परिक्षेत्र राजपुर
	iv.	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है	11.243 हेक्टेयर सूरजपुर एवं 6.961 हेक्टेयर बलरामपुर
	v.	वन की कानूनी स्थिति	
		(क) सीमांकित संरक्षित वन (PF-65,63)	6.942 हेक्टेयर
		(ख) सीमांकित आरक्षित वन (47)	1.210 हेक्टेयर
		(ग) असीमांकित संरक्षित वन	0.000 हेक्टेयर
		(घ) राजस्व वनक्षेत्र	3.091 हेक्टेयर एवं 6.961 हेक्टेयर
		योग :-	18.204 हेक्टेयर
	vi.	हरियाली का घनात्व	--
	vii.	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाए।	संलग्न
	viii.	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी	आवेदित वनभूमि वन भूमि मृदा वर्गीकरण के पांचवे श्रेणी में आता है. जिसमें फसल उत्पादन की संभावना कम है एवं मृदा क्षरण की संभावना नहीं है। अतः उक्त भूमि आवेदित परियोजना हेतु रिया जा सकता है।
	ix.	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी.	वन सीमा से लगा हुआ। (मानचित्र संलग्न)

NAVEED SHUJA UDDIN
(IFS)

Divisional Forest Officer
Surajpur Division, Surajpur (C.G.)

	x.	क्यो फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	नहीं है
	xi.	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं है
	xii	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्ववीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस.विश्रामपुर-प्रतापपुर-बलरामपुर लाईन के लो. नम्बर 42/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र राजपुर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु सुरजपुर वनमण्डल के आवेदित वन भूमि के अन्तर्गत कोई भी सुरक्षित पुरातत्ववीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र नहीं है। राजपुर में प्रस्तावित लाईन से लगभग 10 कि.मी. की दूरी पर ऐतिहासिक महत्व के चिन् स्थित नहीं है। प्रस्तावित लाईन के निर्माण से इन ऐतिहासिक स्थलों में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा।
8		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरो सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	प्रस्तावित वनभूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है
9		क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं
10		प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनोत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	बलरामपुर वनमंडल के प्रस्ताव में संलग्न हैं
	ii.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनोत्तर / अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न हैं
	iii.	रोषित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	संलग्न हैं
	iv.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	बलरामपुर वनमंडल के द्वारा तैयार किया गया है एवं प्रस्ताव में संलग्न हैं
	v.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	बलरामपुर वनमंडल के द्वारा तैयार किया गया है एवं प्रस्ताव में संलग्न हैं
11		जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	आवेदित क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ नहीं पाई जाती है न ही आवेदित क्षेत्र में कोई सुरक्षित पुरातत्ववीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। वनभूमि की मांग प्रस्तावित परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। आवेदक सस्थान द्वारा वन अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया गया है
12		विभाग/जिला प्रोफाईल	
	i.	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3583.01 वर्ग कि.मी.
			7139.200 वर्ग कि.मी.

ii.	जिले का वनक्षेत्र	वनमण्डल का वनक्षेत्र सूरजपुर	वनमण्डल का वनक्षेत्र बलरामपुर
	आरक्षित वन	737.726 वर्ग कि.मी.	700.998 वर्ग कि.मी.
	संरक्षित वन	551.152 वर्ग कि.मी.	2350.96 वर्ग कि.मी.
	असीमांकित वन	421.807 वर्ग कि.मी.	-----
	योग :-	1710.685 वर्ग कि.मी.	3051.960 वर्ग कि.मी.
iii.	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।	19 मामलो मे 3217.624 हेक्टर	150.820 हेक्टर
iv.	1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक:	7361.73	----
	क. दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।		
	ख. वनोत्तर भूमि पर ।		
v.	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :-		
	क. वनभूमि।		
	ख. वनोत्तर भूमि पर		
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	प्रस्तावित लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विश्रामपुर-प्रतापपुर- बलरामपुर लाईन के लो. नम्बर 42/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र राजपुर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण होने से सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले मे बिना रुकावट गुणवत्ता पूर्ण विद्युत आपूर्ति होगी। इस परियोजना से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मे कृषि एवं औद्योगिक विकास होने से रोजगार होने की पुरी संभावना है। इस महत्वाकांक्षी प्रस्ताव हेतु 11.243 हे0 एवं 6.961 हे0 की वन भूमि ब्यापवर्तन की स्वीकृति करने की अनुशंसा सहित प्रेषित है।	

दिनांक : 06.12.2016

स्थान : सूरजपुर

NAVEED SHUJA UDDIN
वनमण्डलाधिकारी, (F.S.)
सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर
Surajpur Division, Surajpur (C.G.)